न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2018 दिनांक 07/09/2022

प्रार्थीनी :-

1.अणसीदेवी पत्नि किरताराम,जाति जाट निवासी ताजाणियों का तला (कापराऊ), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. शक्तिदान 2.मेघदान पि.आवड़दान जाति चारण निवासी बूठ राठौड़ान,
3.हड़वंतसिंह 4.चतरसिंह 5.तुलछसिंह पि. धनसिंह, जाति राजपूत, निवासी देदूसर, तहसील चौहटन,जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 64/2021 दिनांक : 07.09.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन पटवार क्षेत्र बूठ राठोड़ान के मौजा मले का तला के खेत खसरा सं. 47 रकबा 37.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2019 to 2022 दिनांक 07/09/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीनी अणसीदेवी
3. विप्रार्थीगण शक्तिदान वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बाखासर/धोरीमन्ना/बनाऊ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:38:47 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन